राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान
नई दिल्ली

फा.सं. 106-II/हिंदी अनुभाग/2009/ 23 अक्तूबर 2009

विषय: संस्थान में जुलाई-सितम्बर 2009 की तिमाही के दौरान आयोजित कार्यशाला का कार्यवृत।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान में 1 से 30 सितम्बर 2009 को हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास के रूप में मनाया गया। इस मास के दौरान दिनांक 9.9.2009 को हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान के प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी, श्री आर.पी.सिंह के सुझाव पर कार्यशाला का विषय अत्यधिक व्यवहारिक रखा गया जो कि 'राजभाषा हिंदी का व्यवहारिक प्रयोग' था। इस कार्यशाला में व्याख्यान हेतु श्री बी.एल.शर्मा, हिंदी प्रमुख(राजभाषा), सेवानिवृत, हडको, नई दिल्ली को आमंत्रित किया गया था। इस कार्यशाला में संस्थान के लगभग सभी कर्मचारियों ने भाग लिया जिनकी संख्या 55 थी।

कार्यशाला की गतिविधियों का सार:

कार्यशाला का आरंभ माननीय गृहमंत्री, श्री पी.चिदम्बरम द्वारा जारी संदेश के वाचन से किया गया। तत्पश्चात् संस्थान के निदेशक, प्रो. चेतन वैद्य ने श्री बी.एल.शर्मा का परिचय देते हुए कहा कि संस्थान के समस्त कार्मिक आज श्री बी.एल.शर्मा के ज्ञान और अनुभवों का लाभ उठाएंगे।

श्री बी.एल. शर्मा ने कार्यशाला का आरंभ करते हुए कहा कि दुनिया के अनेक विकसित और विकासशील देशों ने अपनी मातृभाषा की बदौलत ही इस ऊँचाई तक पहुंचे है। जापान एक आर्थिक और औद्योगिक शक्ति है और इस मुकाम तक पहुंचने में जापान की मातृभाषा का बहुत बड़ा योगदान है। उदाहरण के लिए – उन्होंने अपनी मातृभाषा में शिक्षा अनिवार्य बनाई और तकनीकी एवं वैज्ञानिक शिक्षा का प्रयोग अपनी मातृभाषा में प्रचलित किया और विश्व की एक विकसित देशों में अपनी जगह बनाई। हमारे देश में भी संविधान निर्माताओं की यह आकांक्षा थी कि स्वतंत्रता के बाद देश का शासन हमारी अपनी भाषाओं में चले ताकि आम जनता शासन से जुड़ी रहे और समाज में प्रगति हो सके। उन्होंने कहा कि हमारा देश तरक्की कर रहा है लेकिन इस प्रगति का लाभ देश के आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसके अनेक कारणों में से एक यह भी है कि हम शासन को जनता तक उसकी भाषा में पहुंचाने में अभी सक्षम नहीं हुए है।

श्री आर.पी.सिंह, प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी ने बैठक की चर्चा में शामिल होते हुए कहा कि भारत को आजादी मिले 60 वर्ष हो गए। लेकिन शासकीय कार्यों में राजभाषा हिंदी के सौ प्रतिशत प्रयोग पर अभी

भी प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। श्री आर.पी.सिंह ने कहा कि चूंकि एक लम्बे समय तक शासन का कार्यकलाप अंग्रेजी में करने के आदी हो गए है और अंग्रेजी में काम करना हमें सरल लगता है। उन्होंने कहा कि हिंदी का ज्ञान हम सभी को है, प्रश्न केवल मानसिकता का है। हमें अपनी भाषा से प्रेम करना एवं गर्व करना आवश्यक है। इस भावना के आते ही हिंदी स्वतः ही व्यवहारिक भाषा बन जाएगी।

श्री बी.एल.शर्मा ने श्री आर.पी.सिंह के विचारों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जहां उच्चाधिकारियों की हिंदी के प्रति ऐसी भावना है वहाँ राजभाषा हिंदी के व्यवहारिक प्रयोग में निश्चित ही वृद्धि होगी। प्रो. चेतन वैद्य ने श्री बी.एल. शर्मा के विचारों का समर्थन करते हुए कहा कि उच्चधिकारियों के प्रयासों के बिना राजभाषा हिंदी को व्यवहारिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं हो सकता। श्री आर.पी.सिंह, प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी ने प्रो. चेतन वैद्य के विचारों में अपने विचारों को शामिल करते हुए कहा कि यदि हम चाहते है कि सरकार में हिंदी का प्रयोग बढ़े तो सबसे पहले उच्चाधिकारियों को ही पहल करनी होगी। यदि उच्चाधिकारी मूल रूप से हिंदी लेखन करें तो उसके अधीन कार्यरत कार्मिक को भी हिंदी में कार्य करते हुए गर्व होगा। उसी से नीचे के कर्मचारियों को भी हिंदी में काम करने की प्रेरणा मिलेगी।

मुख्य वक्ता ने चर्चा जारी रखते हुए कहा कि राजभाषा का प्रयोग करते हुए झिझके नहीं जहां हिंदी का शब्द लिखने में कठिनाई आए वहां अंग्रेजी, संस्कृत आदि अन्य भाषाओं के शब्दों का प्रयोग कर सकते है, धीरे-धीरे अभ्यास हो जाएगा। श्री शर्मा ने कहा कि सामान्यतः सरकारी कार्यालयों में हिंदी के अपेक्षित रूप में न बढ़ने का यह भी एक कारण है कि हम समझते है कि हिंदी में काम करना तो हिंदी अनुभाग का काम है। यह एक भ्रांति है। जब तक प्रत्येक अधिकारी अपने को हिंदी अधिकारी नहीं समझेगा, हिंदी में मूल लेखन नहीं होगा। हिंदी अनुभाग तो केवल सहायता के लिए है, मूल रूप से टिप्पणियां और आलेखन तो संबंधित अनुभागों और अधिकारियों को ही करना है। अतः जब तक फाइलों पर मूल लेखन हिंदी में नहीं होगा, हिंदी सही अर्थों में राजभाषा नहीं बन सकती।

कार्यशाला में आमंत्रित मुख्य वक्ता श्री बी.एल.शर्मा ने कार्यशाला के दौरान कहा किसी भी नियम को लागू करने के लिए संविधान में उसकी व्यवस्था की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 343 में राजभाषा से संबंधित नियमों का उल्लेख है। इसी अनुच्छेद में बताया गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी भारत की 'राजभाषा' होगी। राजभाषा अधिनियम 1963 में बना, इसकी धारा 3(3) के अनुसार सामान्य आदेश, कार्यालय ज्ञापन, सूचना, संकल्प, निविदा, अधिसूचना, सदनों में रखी गई रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्ति, संसद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले सरकारी कागज पत्र, संविदाएं, टेंडर फार्म आदि द्विभाषी होने चाहिए। केन्द्र सरकार के जिन राज्यों ने हिंदी में कार्य करना स्वीकार कर लिया है उनके साथ केन्द्र सरकार द्वारा हिंदी में पत्राचार किया जाए। हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य है प्रत्येक तिमाही के अंत में हिंदी प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को प्रेषित करनी आवश्यक है।

उक्त नियमों की व्याख्या के पश्चात् श्री बी.एल.शर्मा ने कहा कि केवल नियम बनाने से राजभाषा हिंदी का व्यवहारिक प्रयोग नहीं बढ़ सकता। हमें अपनी मनोवृति बदलनी होगी, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हुए

हमें गर्व का अनुभव होना चाहिए। श्री शर्मा ने कहा कि आज की यह कार्यशाला हिंदी प्रयोग प्रोत्साहन मास में आयोजित की जाने वाली गतिविधियों के क्रम में प्रथम कार्यक्रम है, जिसका विषय बेहद सार्थक है। परंतु केवल इसी मास में ही हिंदी का प्रयोग करके हमें राजभाषा हिंदी को बिसरा नहीं देना बल्कि वर्ष के प्रत्येक दिन हिंदी का प्रयोग करते रहना है यही इस कार्यशाला की सफलता होगी।

इसके साथ ही श्री बी.एल.शर्मा ने बैठक में आमंत्रित संस्थान के समस्त कार्मिकों, प्रो.चेतन वैद्य का धन्यवाद करते हुए अपने व्याख्यान का समापन किया। प्रो. चेतन वैद्य, निदेशक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने श्री बी.एल. शर्मा का बैठक में पधारने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि संस्थान के कार्मिक इस जानकारी का लाभ उठाएं। कार्यशाला की समाप्ति के पश्चात् बैठक में आमंत्रित मुख्य वक्ता एवं समस्त सदस्यों ने जलपान किया और कार्यशाला का समापन हुआ।

श्री आर.पी.सिंह
प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी